| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 05/07/2024 | आज श्री [illegible] एस.डी.एम. साहब [illegible] पेशी [illegible] तारीख 08/11/24 को पेश हो। |
| 06/09/2024 | आज श्रीमान [illegible] एस./एस.डी.एम. साहब [illegible] पर हैं। पेशी [illegible] जाकर पत्रावली तारीख 08/11/24 को पेश हो। |
| 08/11/2024 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी बहस एवं [illegible] में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।<br>08.11.24<br>सहायक कलेक्टर<br>बाप (फलौदी) |